सं.केमाशिबो/संबद्धता/परिपत्र/10/2017 दिनांक: 19.04.2017

सेवा में
सभी केमाशिबो संबद्ध विद्यालयों के
प्रबंधक एवं प्रमुख

विषय: विद्यालयों को किताबों, स्टेशनरी, वर्दी, विद्यालय बैग इत्यादि के विक्रय द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त न होने और परीक्षा उप-विधि के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु परामर्श।

बोर्ड द्वारा इसके सभी संबद्ध विद्यालयो को पाठ्यपुस्तकों, नोटबुक, लेखन सामग्री, वर्दी इत्यादि के विक्रय द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल न होने और बोर्ड की परीक्षा उप-विधि के प्रावधानों का पालन करने के लिए समय-समय पर परामर्श जारी किए गए हैं। तथापि, माता-पिता एवं अन्य पणधारियों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के माध्यम से बोर्ड के ध्यान में यह लाया गया है कि विद्यालय विद्यालय परिसर में या चयनित विक्रेताओं के माध्यम से पुस्तकों और वर्दी के विक्रय द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अब भी लिप्त हैं।

2. केमाशिबो संबद्धता उप-विधि के नियम 19.1(ii) में अधिदेशित है कि कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसायटी/न्यास/कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय एक सामुदायिक सेवा के रूप में संचालित है न कि व्यवसाय के रूप में और कि विद्यालय में किसी भी रूप में व्यावसायिकरण नहीं होता है।

3. आगे, केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों से एनसीईआरटी/केमाशिबो पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के संबंध में परिपत्र संख्या शैक्ष./13/2016 दिनांक 12.04.2016 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करना अपेक्षित है परंतु बोर्ड को प्राय: विद्यालयों द्वारा बच्चों और उनके माता-पिता पर एनसीईआरटी/केमाशिबो से अलग पाठ्यपुस्तकों के क्रय के लिए दबाव डालने संबंधी रिपोर्ट व शिकायतें प्राप्त होती हैं।

4. बोर्ड द्वारा उपर्युक्त उल्लंघनों के बारे में गंभीर रूख अपनाया गया है। अत: आपके पुन: ध्यान में लाया जाता है कि शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है और उनका एकमात्र उद्देश्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है।

5. अत: विद्यालयों को केवल परिसर के भीतर या चयनित विक्रेताओं से पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, स्टेशनरी, वर्दी, जूते, विद्यालय बैग इत्यादि के क्रय के लिए माता-पिता को बाध्य करने की अनुचित प्रथा से बचने का निदेश दिया जाता है।

6. विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा।

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092
"Shiksha Kendra", 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110 092
फोन / Telephone : +91-11-22509256, 22509257 वेबसाइट/Website: www.cbse.nic.in

प्रतिलिपि सूचना व अनुपालन हेतु :

I. शिक्षा निदेशक, दिल्ली, चंडीगढ़, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, पोर्ट ब्लेयर
II. सभी राज्यों के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग
III. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18- इनस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016
IV. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए 28-कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
V. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी-85
VI. अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी, केमाशिबो
VII. केमाशिबो के सभी विभागाध्यक्ष
VIII. निदेशक (सू.प्रौ.), केमाशिबो, दिल्ली - परिपत्र को केमाशिबो वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
IX. संयुक्त सचिव (प्रशा. व विधि), केमाशिबो, प्रीत विहार, दिल्ली
X. संयुक्त सचिव (समन्वय), केमाशिबो, दिल्ली
XI. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय अधिकारी- उनसे संबंधित क्षेत्र में सभी संबद्ध विद्यालयों को बल्क मेल द्वारा परिपत्र व दिशा-निर्देशों के प्रसार हेतु
XII. जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो, दिल्ली - उपयुक्त प्रचार-प्रसार हेतु
XIII. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी), संबद्धता, केमाशिबो - सभी हितधारकों को आगे परिचालन हेतु
XIV. गार्ड फाइल

(के. श्रीनिवासन)
उप सचिव (संबद्धता)